

अंतर कार्यालयीन ज्ञापन

संदर्भ सं.राबै.ओडि क्षेका/ एचआरएमडी/A2A / एस-39(EOL)/ 2024-25 01 मई 2024

प्रेषक :

मुख्य महाप्रबंधक
नाबाड़, ओडिशा क्षे.का.,
भुवनेश्वर

प्रेषिती :

मुख्य महाप्रबंधक
HRMD-LEAVE & INCREMENT
नाबाड़, प्र.का., मुम्बई

ईओएल कि स्वीकृति हेतु अनुशंसा

श्री बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104), ने 01.03.2024 से 06.03.2024 तक स्व-बीमारी के लिए (चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न), अनुपस्थित था। वह 06 दिनों के लिए अनुपस्थित थे और और अल्प अवकाश शेष के कारण छुट्टी के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे हैं।

हम बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104) की 06 दिनों की (01.03.2024 से 06.03.2024 तक की) छुट्टी को ईओएल के अनुदान द्वारा नियमित करने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव करते हैं:-

Recommendation for Sanction of EOL

Shri Biswanath Mukhi, OA (UIN-8104) was absent from 01.03.2024 to 06.03.2024 for self-sickness (Medical Certificate enclosed). He had inadequate leave balance on the date of leave to cover the absence of 06 days.

We propose to regularise the leave for 06 days (01.03.2024 to 06.03.2024) in respect of Shri Biswanath Mukhi, OA (UIN-8104) by grant of EOL as indicated below :-

| Sr. No. | UIN | Name & Designation | Period of absence to be regularized by grant of EOL | Recommendation |
|---------|------|--------------------------|---|----------------|
| 1 | 8104 | Shri Biswanath Mukhi, OA | 01.03.2024 to 06.03.2024 | EOL-CI-CQS |

2. प्रधान कार्यालय से अनुरोध है कि श्री बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104) के अवकाश को स्वीकृत कर वेतन से कटौती की जाए।

(देवेश बेहरा)
सहायक महाप्रबंधक

अनुलग्नक - डॉक्टरी प्रमाणपत्र